न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 812/2018 **दायर दिनांकः 09.10.2018**

उनवान

1 सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल जाति कलाल निवासी रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2 राधेश्याम पुत्र छीतरलाल जाति कलाल निवासी रतनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–
प्रार्थी :–विद्वान अभिभाषक श्री ओमप्रकाश राठौड़।
अप्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 06/09/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू की भूमि खाता संख्या 204 में आराजी ख0नं0 527 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 625/1193 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 627/1192 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 749 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 795 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 796 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 976 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 977 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 980 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 981 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 982 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0983 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 984 का रकबा 0.23 है0, ख0नं0 985 का रकबा 0.09 है0, कुल किता 14 का कुल रकबा 1.59 है0 में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण अपने पिता के समय से ही काबिज चले आ रहे है। नकल इन्तकाल, नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

का दौराने इन्तकाल खोलते समय सहवन से प्रार्थीगण का नाम कालू व पप्पू दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीगण का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र एवं समस्त दस्तावेजात में सत्यनारायण व राधेश्याम दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण व राधेश्याम के स्थान पर कालू व पप्पू दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण को के0सी0सी0 एवं अन्य सरकारी लाभों से वंचित होना पडता रहा है प्रार्थीगण के पहचान दस्तावेजों, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में प्रार्थीगण का नाम सत्यनारायण व राधेश्याम दर्ज है। इसलिए प्रार्थीगण कृषि आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कालू व पप्पू के स्थान पर सत्यनारायण व राधेश्याम दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने कई बार हल्का पटवारी महोदय एवं श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को मद नं0 1 में वर्णित आराजी में अपना नाम शुद्ध करने को कहा तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहा। प्रार्थीगण की आराजी रतनपुरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का कालू व पप्पू के स्थान पर सत्यनारायण व राधेश्याम दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 व pw2 का शपथ पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का नाम कालू व पप्पू के स्थान पर सत्यनारायण व राधेश्याम दर्ज किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबंदी ग्राम रतनपुरा की खाता सं0 204 की कुल किता 14 रकबा 1.59 है में प्रार्थीगण का नाम कालू व पप्पु दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भामाशाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested

कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी क्रम 1 सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल व प्रार्थी क्रम 2 का नाम राधेश्याम पुत्र छीतरलाल दर्ज है।

रिकॉर्ड व साक्ष्य के आधार पर न्याय हित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, विवादित भूमि ग्राम रतनपुरा की खाता सं0 204 की कुल किता 14 रकबा 1.59 है0 भूमि में प्रार्थी क्रम 1 का नाम कालू पुत्र छीतरलाल के स्थान पर कालू उर्फ सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम पप्पू पुत्र छीतरलाल के स्थान पर पप्पू उर्फ राधेश्याम पुत्र छितरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू, जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:57:02 IST
Reason: SelfAttested